न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–52–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–12–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, रामपुर बाघेलना के प्रकरण क्रमांक–287/2013–14/अपील

.....

1– भैयालाल गौतम पुत्र स्व0 श्री यदुवंश प्रसाद
2– रामकलेश गौतम पुत्र स्व0 श्री यदुमन प्रसाद गौतम
निवसीगण– ग्राम कोटर तहसील कोटर,
जिला–सतना(म0प्र0)

------आवेदकगण

विरूद्ध

1– अरूण कुमार गौतम पुत्र स्व0 श्री साधु गौतम
2– सुरसरी प्रसाद गौतम पुत्र स्व0 श्री रामआश्रय प्रसाद गौतम
3– देवराज प्रसाद गौतम पुत्र स्व0 श्री रामआश्रय प्रसाद गौतम
4– लवकुश प्रसाद गौतम पुत्र स्व0 श्री रामआश्रय प्रसाद गौतम
5– गंगाप्रसाद गौतम पुत्र स्व0 रामखिलावन गौतम
निवासीगण–ग्राम कोटर, तहसील कोट, जिला–सतना(म0प्र0)

------अनावेदकगण

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री सुनील सिंह जादौन, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 4/8/2017 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, रामपुर बाघेलना के आदेश दिनांक 16–12–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण ने अधीक्षक भू–अभिलेख भू प्रवर्जन सतना के समक्ष ग्राम बाका मौजा उमरी, तहसील कोटर की मूल आराजी क्रमांक 12 रकबा 27.05 एकड़ के संबंध में संहिता की धारा 178, 109 एवं 110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 11.06.2013 से बटवारा नामांतरण स्वीकार किया । इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, रामपुर बाघेलना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । जहां दिनांक 16.12.2014 को धारा 5 का आवेदन पत्र पर तर्क सुनवाई की जाकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर प्रकरण में दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पेशी दिनांक 30.01.2015 नियत की गई । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि आवेदक एवं अनावेदकगणों के संयुक्त खाते की भूमि है, जिसके संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष बंटवारा नामांतरण किये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था । विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुये आदेश पारित किया था। उक्त आदेश की विधिवत जानकारी अनावेदकगण को आदेश दिनांक से थी, किन्तु उनके द्वारा काफी समय पश्चात अपील प्रस्तुत की गई थी। जो स्पष्टतः अवधि बाह्य थी, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा बिना पर्याप्त कारण के मान्य किया गया । उपरोक्त प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत बटवारा नामांतरण आदेश पारित किया है। आपसी बटवारा फर्द पुल्ली पी–1 सी के अनुसार स्वीकृत किया गया था, जिसके संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत जांच की गई थी एवं माना गया था कि आवेदक एवं अनावेदकगण के मध्य कोटुम्बिक कृषि व्यवस्था के अनुसार विवादित भूमियों पर कब्जा है एवं कास्त की जा रही है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जो अपील प्रस्तुत की गई थी, वह स्पष्टतः अवधि बाह्य थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अनावेदकगण को विचारण न्यायालय के आदेश की जानकारी आदेश दिनांक से थी, किन्तु उनके द्वारा जानबूझकर झूठी

कहानी के आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है जिसमें अवधि के संबंध में पर्याप्त कारण नहीं दर्शाये गये थे। आदेश दिनांक 11.06.2013 के आदेश दिनांक 25.03.2014 को अपील में चुनौती दी गई है, जबकि वास्तविकता यह है कि इतने लम्बे समय तक अनावेदकगणों द्वारा अपील भूमि के संबंध में कोई जानकारी नहीं ली गई हो, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि प्रत्येक वर्ष भू–आगम लगान जमा किया जाता है जिससे भूमि की वास्तविक स्थिति में जानकारी होना संभव है, किन्तु इसके बावजूद समयबाधित जो अपील प्रस्तुत की गई है वह स्पष्टतः अवधि बाह्य थी, जो प्रथमदृष्टि में अपास्त किये जाने योग्य थी। अंत में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.12.2014 निरस्त किये जाने एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.06.2013 स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष म्याद अवधि अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर यह निष्कर्ष निकाला है कि रामखिलावन पुत्र राम मनोहर की मृत्यु दिनांक 17.05.2013 को हुई थी, जिसके संबंध में रामलिखावन के मृत्यु प्रमाण पत्र जो नगर परिषद कोटर द्वारा जारी किया गया। विचारण न्यायालय के आदेश पत्रिका दिनांक 29.05.2013 एवं 05.06.2013 पर मृतक रामखिलावन के हस्ताक्षर बने है। मृत्यु के पश्चात हस्ताक्षर बने होना संदिग्ध प्रतीत होता है। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी ने अपील प्रकरण में समय अवधि की धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 16.12.2014 को निराकरण किया गया निष्कर्ष उचित प्रतीत होती है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर दर्शित परिस्थिति को देखते हुये अनुविभागीय अधिकारी, रामपुर बाघेलान का आदेश 16.12.2014 स्थिर रखा जाता है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,